वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदक संस्थान उप महाप्रबंधक (परियोजना), गेल इण्डिया लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण कार्य के लिये निचे दर्शाये वनमंडलों की कुल 15.690 हे. वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के निर्देशों के तहत वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

वन मंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	वनमंडल का नाम	वनभूमि का रकबा (हे. में)	नारंगी वनभूमि का रकबा (हे. में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे. में)	योग रकबा (हे. में)
1	खैरागढ़	4.687	—	0.516	5.203
2	बिलासपुर	—	—	0.019	0.019
3	कोरबा	—	2.087	—	2.087
4	जाँजगीर–चांपा	3.928	—	0.877	4.805
5	रायगढ़	0.949	—	2.627	3.576
	योग –	**9.564**	**2.087**	**4.039**	**15.690**

उपरोक्त तालिका में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग एवं बिलासपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण कार्य के लिये कुल 15.690 हे. वनभूमि / नारंगी वन भूमि एवं राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 17/04/2023
स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(संजय शुक्ला) 17/4/23
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–934/ 903 रायपुर, दिनांक 17/04/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषयः– **खैरागढ़ –छुईखदान–गंडई जिले के खैरागढ़ वन मंडल अंतर्गत 18 इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने की अनुमति हेतु गैर वानिकी कार्य के लिए 15.690 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव। (पंजीयन कं.FP/CG/Other/154619/2022)**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग का पत्र क्रमांक/ तक अधि/ 2460 दिनांक 11.04.2023

=0=

विषयांकित प्रकरण में आवेदक संस्थान उप महाप्रबंधक (परियोजना), गेल ईण्डिया लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण कार्य के लिये चेक लिस्ट क्रमांक –1 में दर्शाये अनुसार वन मंडलवार कुल रकबा 15.690 हे. वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के निर्देशों के तहत नवीन चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। नोडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ–01 से 22) आवेदक संस्थान द्वारा 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण कार्य हेतु वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि की मांग की गई है। वनमंडलवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वनमंडल का नाम	वनभूमि का रकबा (हे. में)	नारंगी वनभूमि का रकबा (हे. में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे. में)	योग रकबा (हे. में)
1	खैरागढ़	4.687	–	0.516	5.203
2	बिलासपुर	–	–	0.019	0.019
3	कोरबा	–	2.087	–	2.087
4	जाँजगीर–चांपा	3.928	–	0.877	4.805
5	रायगढ़	0.949	–	2.627	3.576
	योग –	**9.564**	**2.087**	**4.039**	**15.690**

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 23 से 30) – उक्त प्रकरण के लये रजिस्ट्रेशन क्रमांक – **FP/CG/Other/154619/2022** आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू. 35,000/– का डी.डी. जमा कराया गया है जिसे वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के पी.डी. खाता 8443–106 व्यक्तिगत जमा में चालान क्रमांक 17 दिनांक 29.09.2022 के माध्यम से जमा कराया गया है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 144 से 148) — यूजर एजेंसी द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (पृष्ठ 149 से 171) — इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान का पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 172 से 223 तक) — प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण कार्य में प्रभावित हो रही 15.690 हे. वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि में वृक्षों का विदोहन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वनमंडलवार वृक्ष विदोहन का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	भूमि का प्रकार	वनमंडलवार विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या					
		खैरागढ़	बिलासपुर	कोरबा	जांजगीर—चांपा	रायगढ़	योग
1	वनभूमि	1271	—	—	237 एवं 1 नग बांसभिर्रा	371	1879
2	नारंगी वनभूमि	—	—	—	—	—	—
3	राजस्व वनभूमि	21	—	—	—	—	21
	योग	1292	—	—	237	371	1900

उपरोक्त वनमंडलों में प्रभावित हो रहे वृक्षों की वृक्ष विदोहन योजना वनमंडलवार पृथक—पृथक प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 224 से 241 तक) — वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियम 2003 के उपनियम पार्ट बी 12 तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.08.2017 के प्रावधानों के तहत प्रकरण 20.000 हे. से कम का होने के कारण प्रस्ताव में कास्ट बेनिफिट एनालाईसिस प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का संबंधित वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 14. — चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि/राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 242 से 250 तक) — प्रकरण में मांग की गई गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि एवं राजस्व वनभूमि का वन मंडलवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	वनमंडल का नाम	गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि का रकबा (हे. में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे. में)
1	खैरागढ़	161.375	0.516
2	बिलासपुर	77.225	0.019
3	कोरबा	21.269	—
4	जाँजगीर—चांपा	130.543	0.877
5	रायगढ़	124.676	2.627
	योग —	**515.088**	**4.039**

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 251 से 256 तक) — 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के कार्य के अंतर्गत गैर वन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र का नक्शा प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 257 से 280 तक) — आवेदक संस्थान गेल इंडिया द्वारा आवेदक संस्थान द्वारा ग्राम भलेरा प.ह.नं. 62 रा. नि. व. तह. आरंग जिला रायपुर के खसरा नं. 926 का रकबा 32.130 हे. शासकीय राजस्व भूमि में से रकबा 18.000 हे0 राजस्व भूमि 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिए उपलब्ध कराये जाने का विनिश्चय किया गया है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 281 से 282 तक) — आवेदक संस्थान द्वारा ग्राम भलेरा प.ह.नं. 62 रा. नि. व. तह. आरंग जिला रायपुर के खसरा नं. 926 का रकबा 32.130 हे. शासकीय

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 380 से 384) – आवेदक संस्थान कार्यपालन उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (इंण्डिया) लिमिटेड, तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) द्वारा 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य के अंतर्गत मांग की गई वन भूमि 4.687 हे. एवं 0.516 हे. राजस्व वन भूमि (बड़े झाड़ का जंगल) कुल 5.203 हे. भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह, स्थल एवं मूर्ति नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, खैरागढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 385 से 409 तक) – भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 28.06.2022 जो वन संरक्षण नियम 2022 से संबंधित है, के नियम 6 (ख) (ii) के प्रावधानों के तहत अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा वर्ग कि.मी. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 410 से 414 तक) – प्रकरण में प्रभावित हो रहे वनमंडल से संबंधित जिलों के कुल वनभूमि का रकबा निम्नानुसार है :–

क्र.	वृत्त / वन मंडल	जिले के वनभूमि का रकबा (वर्ग कि.मी. में)
1	खैरागढ़	1305.51
2	बिलासपुर	783.36
3	कोरबा	2136.47
4	जाँजगीर–चांपा	2.50
5	रायगढ़	1529.59

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 415 से 429 तक) – उक्त अधिनियम के अंतर्गत वनमंडलवार स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)
1	खैरागढ़	17	219.242
2	बिलासपुर	–	723.378
3	कोरबा	–	1098.802
4	जाँजगीर–चांपा	10	476.539
5	रायगढ़	69	3829.683

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 430 से 434 तक) – स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी के अंतर्गत व्यपवर्तीत वनभूमि के रकबे का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)
1	खैरागढ़	–	–
2	बिलासपुर	–	–
3	कोरबा	1	9.534
4	जाँजगीर–चांपा	1	0.387
5	रायगढ़	–	–

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 **(प्रस्ताव पृष्ठ 517 से 521 तक)** – आवेदित वनभूमि में प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कार्य यथा निर्माण कार्य/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित नहीं किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 41. **पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 522 से 529 तक) –** प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 35000/– रूपये का डी.डी. जमा कराया गया है। जिसे चालान क्रमांक 17 दिनांक 29.09.2022 द्वारा वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के पी.डी. खाता 8443–106 व्यक्तिगत जमा में जमा कराया गया है। प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 42. **वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 530 से 534 तक)** प्रकरण पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन से संबंधित है। इसलिये वन्यप्राणी परियोजना से संबंधित अभिमत की आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 43. **विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 435 से 541 तक)**– प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 44. **प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 442 से 547 तक) –** प्रस्ताव में संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक दुर्ग एवं बिलासपुर वृत्त द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई मुख्य वन संरक्षक दुर्ग एवं बिलासपुर वृत्त के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– **1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में**

2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–934/ 910 दिनांक 17/04/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

– **मुख्य वन संरक्षक,** दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
– **मुख्य वन संरक्षक,** बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
– **वनमंडलाधिकारी,** खैरागढ़ वनमंडल, खैरागढ़, छत्तीसगढ़।
– **वनमंडलाधिकारी,** बिलासपुर वनमंडल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
– **वनमंडलाधिकारी,** कोरबा, वनमंडल, कोरबा, छत्तीसगढ़।
– **वनमंडलाधिकारी,** जांजगीर–चांपा, वनमंडल, जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।
– **वनमंडलाधिकारी,** रायगढ़, वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
– **उप महाप्रबंधक (परियोजना),** गेल इंडिया लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़